

144



प्रगति - 923-२-१

न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक - श्री जिदू लाल गाँड़ उम्र वर्ष पिता श्री फागू लाल गाँड़
निवासी- ग्राम ऐठाखेड़ा तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

ID No.

विरुद्ध

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक - (1) श्री रामकृष्ण साहू उम्र वर्ष पिता स्व. खूबचंद साहू
निवासी- त्रिपुरी चौक, लाल बिल्डिंग, गढ़ा जबलपुर (म.प्र.)
ID No.
(2) मध्यप्रदेश शासन

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिविजन राजस्व प्रकरण क्रमांक 158/अ-21/2013-14 जिदू लाल गाँड़ विरुद्ध
श्री रामकृष्ण साहू ने माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2014 से व्यथित होकर
वर्णित तथ्यों एवं ग्राउंड के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

रिविजन के तथ्य

- यह कि रिविजनकर्ता आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है तथा ग्राम नारायणपुर नं.बं. 240 प.ह.नं. 37 रा.नि.मं. जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 129/3 रकबा 0.400 हैक्टे., एवं ग्राम ऐठाखेड़ा प.ह.नं. 36 रा.नि.मं. जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 188 रकबा 0.120 हैक्टे., खसरा नं. 190 रकबा 1.340 हैक्टे. एवं ग्रामन्धीची प.ह.नं. 78 रा.नि.मं. तहसील व जिला जबलपुर जिसका खसरा नंबर 362, 363/क्रमशः रकबा 1.99 हैक्टे, 0.05 हैक्टे, एवं ग्राम करेली प.ह.नं. 40/36 स्थित भूमि खसरा नं. 106 रकबा 2.04 हैक्टे. भूमि सिंचित/असिंचित भूमि के मालिक काबिज स्वामी है तथा तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज है।
- यह कि आवेदक द्वारा अपनी उपरोक्त काश्तकारी भूमि विक्रय करने का अनुबंध पत्र अनावेदक क्र. 1 एवं 2 के मध्य दिनांक 18.02.2014 को किया था एवं उक्त भूमि के विक्रय करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन धारा 165 (6) सहपठित खंड 2 म.प्र. भू.रा.संहिता के अंतर्गत माननीय निवासी एवं ग्राम निवासी के द्वारा दिनांक 20.02.2014 को प्रमत्त किया था। जिसका प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ९२३-एक/२०१६ निगरानी

जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिके हस्ता
१४-३-१६	<p>यह निगरानी कलैकटर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक १५८/अ-२१/२०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक २४-९-२०१४ के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>२/ प्रकरण का सारोंश यह है कि आवेदक जिटदूलाल गौड़ पुत्र फागू लाल गौड़ ग्राम ऐठाखेड़ा तहसील जबलपुर ने कलैकटर जबलपुर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा १६५ के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत मांग की कि ग्राम नारायणपुर में भूमि सर्वे क्रमांक १२९/३ रकबा ०.४०० हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) उसके नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है इस भूमि के अतिरिक्त उसके पास ग्राम ४.४८० हैक्टर भूमि भी है। वादग्रस्त भूमि के विक्रय पर प्राप्त धन से वह व्यापार करेगा एंव कृषि करने के लिये सामान भी लेगा तथा पुराने मकान की मरम्मत भी करेगा, इसलिये वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलैकटर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक १५८/अ-२१/२०१३-१४ पंजीबद्ध किया एंव जांचोपरांत आदेश दिनांक २४-९-२०१४ पारित करके विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से के विरुद्ध यह निगरानी है।</p> <p>३/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री जी०पी०नायक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>४/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को रामकृष्ण साहू त्रिपुरी चौक हाल बिल्डिंग गढ़ा जबलपुर को विक्रय कर रहा है एंव विक्रय का अनुबन्ध</p>	

भी आवेदक उनके साथ कर चुका है। आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन की जांच कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर एंव तहसीलदार ग्रामीण जबलपुर से कराई है। तहसीलदार जबलपुर ने स्थल जांचोपरांत प्रतिवेदन १६-६-१४ प्रस्तुत कर बताया है कि विक्रय की जाने वाली भूमि पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है अपितु पिता से विरासत में प्राप्त भूमि है केता विक्रेता वर्तमान चालू गाईड लायन की दर के मान से अंतरण कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास ४.४८० हैक्टर भूमि शेष बचेगी अर्थात् आजीविका का पूर्ण साधन है। प्रकरण में संलग्न वर्ष १९९०-९१ बंदोवस्त री नंबरिंग सूची अनुसार वादग्रस्त भूमि इसके पूर्व से ही आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आई है एंव खसरा पंचशाला में विक्रय से प्रतिबंधित अथवा अहस्तांतरणीय भी अंकित नहीं है। विचार योग्य है कि क्या आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दी जा सकती है ? आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादा विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा एक अन्य २०१३ रा०नि० - ८ में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि :-

1. भू-राजस्व संहिता, १९५९ (म.प्र.)-धारा १६५ (७-ख) तथा १५८ (३) का लागू होना - उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते - भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
 2. विधि का निर्वचन - का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन - भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।'
 3. भू राजस्व संहिता, १९५९ (म.प्र.) - धारा - १६५ (७-ख) - पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये १०
- (Signature)*

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ९२३-एक/२०१६ निगरानी

जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि.के हरता.
	<p>वर्ष का समय हो चुका - पटटाग्रहीता को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त - ऐसा भूमिस्वामी भूमि के प्रत्येक प्रकार के संव्यवहार हेतु स्वतंत्र है।</p> <p>जबकि वादग्रस्त भूमि आवेदक के पट्टे की भूमि नहीं है एंव उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है। अतः स्पष्ट है कि आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की वादग्रस्त भूमि के विक्य की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अङ्गचन नहीं है, किन्तु क्लैक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक १५८/अ-२१/२०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक २४.९.१४ में वास्तविकता के विपरीत अर्थ निकाल कर आवेदक का विक्य अनुमति आवेदन निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक २४.९.१४ बृद्धिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को कि ग्राम नारायणपुर की भूमि सर्वे क्रमांक १२९/३ रकबा ०.४०० हैक्टर के विक्य करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यदि प्रस्तावित केता चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से भूमि का मूल्य देने तैयार हो। 2. विक्य पत्र प्रस्तुत करने पर विक्य धन विकेता द्वारा अपीलांट्स के नाम पंजीयन दिनांक को अदा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक वाद-विचारित भूमि का विक्य पत्र पंजीयत करेंगे। 3. भूखण्ड के विक्य पत्र का निष्पादन इस आदेश से तीन माह की समयावधि में करना अनिवार्य होगा। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	